संख्या-187/2023/1380/001-23-9002(002)/41/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़, चित्रकूट, कुशीनगर, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्य के अवशेष आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित आपके पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 2,55,57,000/- (रूपये दो करोड़ पचपन लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत की उपरान्त कार्य की कुल लागत	आवंटन	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	रामपुर जमीन पाल्हन हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	98.32 98.32 27.90	2.60	95.72	48.82	46.90	46.90
2	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	अमारी हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	36.14 36.14 20.63	3.45	32.69	17.95	14.74	14.74
3	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	करेन्हुआ पसियान भरौटी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	77.70 77.70 42.36	6.08	71.62	38.59	33.03	33.03
4	806/ए-11, दि0 02.06.2023	चित्रकूट	कुशवाहा पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/19, दि0 09.12.2019	77.94 77.94 56.65	0.07	77.87	38.71	39.16	31.44
5	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	लखुआ खुर्द से मोतीझील टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	61.67 61.67 33.76	11.26	50.41	30.63	19.78	19.78
6	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	पिपरा बुजुर्ग से मिश्रौली टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	38.05 38.05 20.33	6.28	31.77	18.90	12.87	12.87
7	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर भाट से बरवां छापर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	37.44 37.44 20.16	7.16	30.28	18.60	11.68	11.68
8	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	खानू छपरा सम्पर्क में नाहर छपरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	42.41 42.41 22.16	8.19	34.22	21.06	13.16	13.16
9	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	अथरहा से भटवलिया टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0	99.34 99.34 54.54	21.44	77.90	49.34	28.56	28.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत की उपरान्त कार्य की कुल लागत	आवंटन	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12.12.2019						
10	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर बुजुर्ग से तिवारी टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	57.82 57.82 29.57	11.95	45.87	28.72	17.15	17.15
11	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर बगहा सम्पर्क मार्ग से कोईरी टोला का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	34.06 34.06 18.37	6.83	27.23	16.91	10.32	10.32
12	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	मगडीहा पासी टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	33.08 33.08 16.21	7.02	26.06	16.43	9.63	9.63
13	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	लाला छपरा सम्पर्क मार्ग से दूबे टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	21.24 21.24 10.13	4.38	16.86	10.55	6.31	6.31
									योग	**255.57**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,55,57,000 (रुपये दो करोड़ पचपन लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।

6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।

7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।

8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो01नि0वि0, लखनऊ।

10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8

11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

12. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-187/2023/1380/001-23-9002(002)/41/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़, चित्रकूट, कुशीनगर, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्य के अवशेष आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित आपके पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 2,55,57,000/- (रूपये दो करोड़ पचपन लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत की उपरान्त कार्य की कुल लागत	आवंटन	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	रामपुर जमीन पाल्हन हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	98.32 98.32 27.90	2.60	95.72	48.82	46.90	46.90
2	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	अमारी हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	36.14 36.14 20.63	3.45	32.69	17.95	14.74	14.74
3	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	करेन्हुआ पसियान भरौटी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	77.70 77.70 42.36	6.08	71.62	38.59	33.03	33.03
4	806/ए-11, दि0 02.06.2023	चित्रकूट	कुशवाहा पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/19, दि0 09.12.2019	77.94 77.94 56.65	0.07	77.87	38.71	39.16	31.44
5	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	लखुआ खुर्द से मोतीझील टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	61.67 61.67 33.76	11.26	50.41	30.63	19.78	19.78
6	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	पिपरा बुजुर्ग से मिश्रौली टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	38.05 38.05 20.33	6.28	31.77	18.90	12.87	12.87
7	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर भाट से बरवां छापर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	37.44 37.44 20.16	7.16	30.28	18.60	11.68	11.68
8	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	खानू छपरा सम्पर्क में नाहर छपरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	42.41 42.41 22.16	8.19	34.22	21.06	13.16	13.16
9	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	अथरहा से भटवलिया टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0	99.34 99.34 54.54	21.44	77.90	49.34	28.56	28.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत की उपरान्त कार्य की कुल लागत	आवंटन	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12.12.2019						
10	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर बुजुर्ग से तिवारी टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	57.82 57.82 29.57	11.95	45.87	28.72	17.15	17.15
11	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर बगहा सम्पर्क मार्ग से कोईरी टोला का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	34.06 34.06 18.37	6.83	27.23	16.91	10.32	10.32
12	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	मगडीहा पासी टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	33.08 33.08 16.21	7.02	26.06	16.43	9.63	9.63
13	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	लाला छपरा सम्पर्क मार्ग से दूबे टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	21.24 21.24 10.13	4.38	16.86	10.55	6.31	6.31
									योग	**255.57**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,55,57,000 (रुपये दो करोड़ पचपन लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।

6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।

7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।

8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो01नि0वि0, लखनऊ।

10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8

11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

12. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-187/2023/1380/001-23-9002(002)/41/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़, चित्रकूट, कुशीनगर, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्य के अवशेष आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित आपके पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 2,55,57,000/- (रूपये दो करोड़ पचपन लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत की उपरान्त कार्य की कुल लागत	आवंटन	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	रामपुर जमीन पाल्हन हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	98.32 98.32 27.90	2.60	95.72	48.82	46.90	46.90
2	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	अमारी हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	36.14 36.14 20.63	3.45	32.69	17.95	14.74	14.74
3	1422/ अनु0सं0-83/5054एससीपी/नवनिर्माण/22-23, दि0 12.07.2023	आजमगढ़	करेन्हुआ पसियान भरौटी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/19, दि0 13.11.2019	77.70 77.70 42.36	6.08	71.62	38.59	33.03	33.03
4	806/ए-11, दि0 02.06.2023	चित्रकूट	कुशवाहा पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/19, दि0 09.12.2019	77.94 77.94 56.65	0.07	77.87	38.71	39.16	31.44
5	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	लखुआ खुर्द से मोतीझील टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	61.67 61.67 33.76	11.26	50.41	30.63	19.78	19.78
6	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	पिपरा बुजुर्ग से मिश्रौली टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	38.05 38.05 20.33	6.28	31.77	18.90	12.87	12.87
7	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर भाट से बरवां छापर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	37.44 37.44 20.16	7.16	30.28	18.60	11.68	11.68
8	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	खानू छपरा सम्पर्क में नाहर छपरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	42.41 42.41 22.16	8.19	34.22	21.06	13.16	13.16
9	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	अथरहा से भटवलिया टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0	99.34 99.34 54.54	21.44	77.90	49.34	28.56	28.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत की उपरान्त कार्य की कुल लागत	आवंटन	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12.12.2019						
10	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर बुजुर्ग से तिवारी टोला सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	57.82 57.82 29.57	11.95	45.87	28.72	17.15	17.15
11	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	रामपुर बगहा सम्पर्क मार्ग से कोईरी टोला का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	34.06 34.06 18.37	6.83	27.23	16.91	10.32	10.32
12	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	मगडीहा पासी टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	33.08 33.08 16.21	7.02	26.06	16.43	9.63	9.63
13	1121/18 लेखा, दि0 27.06.2023	कुशीनगर	लाला छपरा सम्पर्क मार्ग से दूबे टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एससीपी/19, दि0 12.12.2019	21.24 21.24 10.13	4.38	16.86	10.55	6.31	6.31
									योग	**255.57**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,55,57,000 (रुपये दो करोड़ पचपन लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।

6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।

7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।

8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो01नि0वि0, लखनऊ।

10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8

11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

12. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।